न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 144/2025
जीसीएमएस सं0 :: 2025/275

जेठमल पुत्र श्री नाथूराम उम्र 63 वर्ष जाति जांगिड़ नि0 ग्राम डूकिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। राज0।

बनाम

– वादी,

1. घनश्याम
2. रामगोपाल
3. सांवरमल
4. सोहनलाल
5. हरिप्रसाद
6. नर्बदा देवी पत्नी मूलचंद
7. पंकज पुत्र मूलचंद
8. विकास पुत्र मूलचंद
9. मीना पुत्री मूलचंद

पुत्रगण नाथूराम

समस्त जाति जांगिड़ नि0 डूकिया तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर

10. भूमिधारक तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
11. उप पंजीयक, पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. 1. श्री ईश्वरलाल यादव, वकील वादी की ओर से।
2. ,, बजरंगलाल शर्मा, प्रति0सं0 1 से 3, 5 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ।

निर्णय

दिनांक :: 23.12.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 702 रकबा 1.0900 है0 ख0नं0 711/2526 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1900 है0 राजस्व ग्राम समर्थपुरा प0ह0 डूकिया तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर में अवस्थित है। वर्णित कृषि भूमियों में वादी का 1/8 हिस्सा व प्रति0सं0 1 ता 5 का 1/8 हिस्सा प्रत्येक का तथाप्रति0सं0 6 ता 9 मूलचंद के वारिस है, जिनका 1/8 हिस्सा है। इसमें भी 1/8 हिस्से की खातेदार पाना देवीपत्नी नाथूराम का है, जो वादी व प्रतिवादीगण की माता व सास व दादी है, जिसका हिस्सा सब पक्षकारों में बराबर–बराबर हिस्से में आयेगी। वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार कब्जे काश्त करते आ रहे है और वादी व प्रति0सं0 1 ता 9 की यह अविभाजित भूमियां है। पक्षकारान ने मौके पर वादग्रस्त भूमियों का बाहमी रूप से विभाजन कर रखा है। वादग्रस्त भूमियों का बाई मिट्स एंड बाउन्डस विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वादी व प्रति0सं0 1

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

ता 9 के मध्य छोटे–मोटे विवाद भूमि के नाप जोख, फसल बुवाई को लेकर होते रहते है और वादी ने अपने हिस्से की भूमि को पेड–पौधे लगाकर, काफी श्रम कर कृषि योग्य बनाया गया है। वादी अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि का अलग से खसरा नंबर डलवाने का एंव वादग्रस्त भूमियों का बंटवारा करवाने का अधिकारी है। दिनांक 05.07.2025 को जब प्रति0सं0 1 ता 9 बिना बंटवारा ही भूमि को नाप जोख किन्हीं भू माफिया प्रकृति के लोगों को करवा रहे थे तथा भूमियों का बेचान, अंतरित करने की कुचेष्टा कर रहे थे, जबकि बिना बंटवारा प्रतिवादीगण व अन्य को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी ने उन्हें बिना बंटवारा किये भूमि को विक्रय, अंतरण नहीं किये जाने का निवेदन किया एंव वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा किये जाने का निवेदन किया, किन्तु वे लोग बंटवारा करने से इंकार हो गए, जबकि वादी को वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाने का अधिकार है। प्रतिवादी सं0 1 ता 9 द्वारा भूमि का बंटवारा किये बिना ही भूमियों को विक्रीत किये जाने, नाजायज रूप से मौके की जमीन का कब्जा करने की धमकी दिये जाने एंव बंटवारा किये जाने से इंकार होने से वाद कारण उत्पन्न होने पर वाद करना लाजिम हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 10 की उप मद क, ख, ग, घ, अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 5 जरिये वकील उपस्थित आये। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर वाद में दिनांक 09.09.25 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर उनके द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/25/7490 दिनांक 19.11.25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रार्थी/वादी द्वारा जरिये वकील प्रार्थना–पत्र तहसीलदार के बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 19.11.2025 पर आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि बंटवारा प्रस्ताव मौके के अनुसार मौके पर नहीं बनाकर प्रतिवादीगण के कहे अनुसार बनाया गया है। बंटवारा प्रस्ताव वादी के सामने नहीं बनाया गया और न ही बंटवारा प्रस्ताव पर वादी के हस्ताक्षर है। उक्त भूमि में 1/8 के सात खातेदार काश्तकार है। बंटवारा प्रस्ताव में वादी एक अन्य का बंटवारा किया गया, बाकी कि भूमि 1/5 में शामलाती रखी गई है। वादी व उनके भाईयों में बाटी बंटवारे के अनुसार वादी को बीच का हिस्सा दिया हुआ था और इस बंटवारा प्रस्ताव में वादी को उत्तर दिशा में 701/1 भूमि किराने पर दी गई है, जो वादी को बिना पूछे बिना उसकी सहमति से दी गई है। वादी को इस भूमि में बंटवारा प्रस्ताव में 702/2 के दक्षिण में बीच में दिये जाना आवश्यक है। वादी का इसी अनुरूप ही बाहमी बंटवारा हुआ है। आवेदन पत्र पेश कर बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 19.11.2024 सही तरह से मौके के कब्जे के अनुसार नहीं बनाया गया है और वादी की अनुपस्थिति में बनाया गया है, जिसे निरस्त किया जाकर दुबारा बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने की आज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

वकील प्रतिवादी द्वारा आवेदन पत्र आपत्ति का जवाब पेश न कर सीधे बहस की गई। बहस के दौरान वकील प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया कि दावे में कहीं भी नहीं लिखा है कि मुझे बीच में भूमि चाहिए। तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया। लेकिन पक्षकार उपस्थित आया और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वादी अगर जमीन कम ज्यादा है, तो आपत्ति कर सकते है। अब यह आपत्ति नहीं कर सकते है। इनका प्रार्थना–पत्र खारिज करे एफ0डी0 जारी करने के आदेश प्रदान करावे।

बहस के दौरान वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि बीच का हिस्सा मुझे मिलना था, जो नहीं मिला। मेरे हस्ताक्षर नहीं है और न ही मेरे सामने विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। बंटवारा प्रस्ताव दोबारा मंगवाया जावे।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नगत भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर बहस सुनी जाकर दिनांक 09.09.2025 को पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/25/7490 दिनांक 19.11.25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया। वकील वादी द्वारा आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पेश कर दोबारा प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। चूंकि उभय पक्ष की सहमति से प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ से मंगवाये गये है। वादी द्वारा अपने वाद में कहीं भी यह मांग नहीं की गई है कि बीच का हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। अगर इस संबंध में वादी को कोई आपत्ति थी, तो उसे तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनवाये जाने के दौरान आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। इस प्रकार इस स्टेज पर वादी द्वारा की गई आपत्ति को स्वीकार करना न्यायालय उचित नहीं समझता है इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र तहसीलदार के बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 19.11.2025 पर आपत्ति खारिज की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी मुताबिक तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार कर फाईनल डिक्री जारी की जाती है कि कृषि भूमि ख0नं0 702 रकबा 1.0900 है0 ख0नं0 711/2526 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1900 है0 राजस्व ग्राम समर्थपुरा प0ह0 डूकिया भू0अ0नि0 क्षेत्र डूकिया तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर में अवस्थित है। में निम्न प्रकार वादी एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं:–

क. स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	जेठमल पुत्र नाथूराम जाति जांगिड़ सा0 देह खातेदार	702/1 711/2526/1	0.1558 0.0142	बा0 2 गै0मु0	0.62 पाल
		किता 2	0.1700	–	0.62

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

2.	नर्बदा देवी पत्नि मूलचंद हि0 1/4 पंकज पुत्र मूलचंद हि0 1/4 मीना पुत्री मूलचंद हि0 1/4 विकास पुत्र मूलचंद हि0 1/4 जाति जांगिड़ सा0 देह खातेदार	702/2 711/2526/2	0.1558 0. 014200	बा0 2 गै0मु0	0.62 पाल
		किता 2	0.1700	—	0.62
3.	घनश्याम पुत्र नाथूराम हि0 1/5, रामगोपाल पुत्र नाथूराम हि0 1/5, सांवरमल पुत्र नाथूराम हि0 1/5 सोहन पुत्र नाथूराम हि0 1/5, हरिप्रसाद पुत्र नाथूराम हि0 1/5 जाति जांगिड़ सा0 देह खातेदार	702/3 711/2526/3	0.7784 0.0716	बा0 2 गै0मु0	3.12 पाल
		किता 2	0.8500	—	3.12

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/25/7490 दिनांक 19.11.25 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

कविता गोदारा
(R.A.S.)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

कविता गोदारा
(R.A.S.)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
सहायक कलक्टर(मु.)सीकर